न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 47 / 2024

1. इन्द्राज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णकुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. बलदेव पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सुरेश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रोहिताश कुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अपीलांटस

बनाम

1. मुखी पुत्री रूपा पत्नि मनफुल जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भागीरथ पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01

निर्णय   दिनांकः– 23/12/2025

अपीलांट इन्द्राज, कृष्णकुमार, बलदेव पुत्रगण भागीरथ जाति जाट निवासी देईदास एंव सुरेश पुत्र इन्द्राज रोहिताश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासीगण देईदास तहसील नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 2066 दिनांक 04.10.2024 तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा तस्दीक किया गया, को अपास्त करवानें बाबत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

1. रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रार्थीया की तरफ से [illegible] जमीन वाके रौही मौजा देईदास व भुकरका के पूर्व में हुए नामान्तरण के [illegible] अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में छः अपील प्रस्तुत की जो वाके रौही मौजा देईदास की भूमि खसरा नम्बर 260 की 32 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा तथा वाके रौही मौजा

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

भुकरका तहसील नोहर की भूमि खसरा नम्बर 296 की 12.191 हैक्टेयर है तथा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रार्थीया ने अपे दादा गणेश की मानते हुए पेश की थी फिर लेखू इसका पुत्र हुआ लेखू के दो पुत्रिया रूपा व तानी हुई। तानी के भागीरथ व अन्य लड़के व लड़किया हुए और रूपा के मुखी रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया हुई तथा रूपा दिनांक 10.04.1985 को फौत हो गई तथा तानी ने रूपा का हक मारने के लिए अपने पुत्र भागीरथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से मिलकर भूमि अपने व पुत्र भागीरथ के नाम करवा ली यदि तानी का हिस्सा बनता है तो रूपा का भी हक था ना कि अकेली तानी का तथा इन अलग अलग नामान्तरण से भूमि अपने नाम करवाली तथा दिनांक 25.05.1987 को वसीयत द्वारा भूमि भागीरथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के नाम दर्ज करवा ली जो गैर खातेदारी भूमि थी तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में दावा कर दिनांक 30.05.2002 को डिक्री करवा लिया तथा इसके पश्चात वादग्रस्त भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के अदालत में भागीरथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के पुत्रों द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर 3/4 हिस्सा भूमि उनके तीन पुत्रों अपीलांट नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई। तथा 1/4 हिस्सा भागीरथ के नाम दर्ज रहीं है। जो उसने अपने पोतो अपीलांट नम्बर 4 व 5 के नाम जरिये दानपत्र दर्ज करवा दी तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध डिक्री के आधार पर नामान्तरण हुए, जो सक्षम न्यायालय के द्वारा डिक्री के निरस्त होने से पहले नामान्तरण निरस्त हो सकते है राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील चल रही है तथा सिविल कोर्ट वसीयत व दानपत्र को खारिज करवाने के लिए दावा चल रहा है तथा सिविल कोर्ट में ताफैसला दावा स्थगन आदेश है तथा निस्तारण आज तक हुआ नहीं है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मुखी की छः अपील दिनांक 20.10.2020 को खारिज फरमा दी गई, जिनकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के यहां प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की छः अपीलों में हुए निर्णय में से तीनों अपीलों में निर्णय बहाल रखा है तथा तीन अपील को रिमाण्ड किया गया तथा उक्त तीनों रिमाण्ड पत्रावली के हुए निर्णय दिनांक 09.04.2024 के खिलाफ अपीलांट की तरफ से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर कर रखी है तथा उनमें राजस्व मण्डल अजमेर में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जो मातहत अदालत में राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की पालना [illegible] दस्ती दी [illegible] अदालत मातहत अपने रजिस्टर में दर्ज कर रखी है। मगर [illegible] भेजी है तथा सिविल कोर्ट के निर्णय का नोट [illegible] में लगा हुआ नहीं है तथा उक्त समस्त भूमि बैंक के रहन है, फिर भी मातहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र जो उसकी तरफ से प्रस्तुत नहीं है तथा उसके पुत्र साहबराम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तरफ से प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर सम्भाग बीकानेर के निर्णय दिनांक 09.04.2024 के द्वारा ग्राम देईदास के नामान्तरण संख्या 519 दिनांक 08.04.2004 को निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल किया जावें मगर मातहत अदालत ने बिना किसी सहीं जांच किये अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अतिरिक्त सभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय के खिलाफ अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जेरकार है तथा उसमें स्थगन आदेश जारी है तथा मातहत अदालत में स्थगन आदेश दर्ज है फिर भी मातहत अदालत के आदेश दिनांक 04.10.2024 के आधार पर नामान्तरण संख्या 2066 दर्ज व तस्दीक कर वाके रौही मौजा देईदास खाता संख्या 15 खसरा नम्बर 260 की 8.2080 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 448 की 3.9200 हैक्टेयर कुल तादादी 12.1280 हैक्टेयर भागीरथ पुत्र हीराराम जाति जाट साकिन ललानियां हाल देईदास तहसील नोहर के नाम किया गया है जो नियम विरूद्ध है, जिससे अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उक्त नामान्तरण 2066 दिनांक 04.10.2024 को अपास्त करवाने हेतु यह अपील अपीलांट निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करते है।

1. आदेश दिनांक 04.10.2024 जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 2066 दिनांक 04.10.2024 दर्ज व तस्दीक किया गया है की समस्त कार्यवाही ब खिलाफ कानून, नियम वाक्यात व रूएदाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया तथा काबिल मन्सूखी है।

2. मातहत अदालत ने कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई है तथा उक्त प्रकरण में ना तो कोई पत्रावली मूर्तिब की है तथा ही अपीलांटस को सुनवाई हेतु कोई नोटिस सम्मन जारी किये है तथा उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ जाते है नामान्तरण संख्या 2066 दिनांक 04.10.2024 दर्ज व तस्दीक किया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने यह जांच नहीं की गई की अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर व संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णयों के खिलाफ राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील जेरकार है तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 09.04.2024 के खिलाफ स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, जो मातहत अदालत क[illegible]टस ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश [illegible] जो उसके डिस्पेच रजिस्टर में दर्ज है। फिर भी मातहत अदालत ने [illegible] रिकार्ड में पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश नियम विरूद्ध किया है जो काबिल अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

4. वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में हुई वसीयत व दान पत्र व निर्णय आदि के खिलाफ रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मुखी की तरफ से वाद जेरकार है तथा सिविल कोर्ट में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला दावा स्थगन आदेश कन्फर्म किया हुआ है, फिर भी अपने आदेश दिनांक 04.10.2024 के आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण संख्या 2066 के आधार पर नामान्तरण संख्या 591 दिनांक 04.08.2004 से पूर्व की स्थिति बहाल करे हुए भागीरथ पुत्र हीराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए नियम विरूद्ध कार्यवाही की है, जो सहज न्याय के खिलाफ है तथा प्रथम दृष्टतया प्रकरण काबिल खारिजी है।

5. रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ने कोई प्रार्थना पत्र पेश पूर्व स्थिति बहाली बाबत प्रस्तुत नहीं किया था। उसके पुत्र के मार्फत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ उसमें नामान्तरण संख्या 125 दिनांक 08.04.2004 से पूर्व स्थिति बहाल का निवेदन किया है जबकि मातहत अदालत नामान्तरण संख्या 591 दिनांक 04.08.2004 से पूर्व की स्थिति बहाल की है तथा प्रार्थना पत्र अस्पष्ट Ambigues व Vague है तथा Better Particulars नाकाबिल चलने के या फिर भी मातहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को गलत फायदा देने के उददेश्य को समस्त स्थगन आदेश जैरकार दावा व सिविल कोर्ट जेरकार कार्यवाही व उच्च न्यायालय में जारी प्रक्रिया छुपाते हुए उक्त समस्त कार्यवाही अपीलांटस के पीठ पीछे की है, जो मिली भगत व सन्देह पैदा करने वाली साजिसाना रूप से गलत राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की है, जो किसी दृष्टि से कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड अंकन को किसी भी रूप बनाया नहीं रखा सकता है तथा उक्त समस्त कार्यवाही कानून के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ तथा इसी आधार पर काबिल खारिज है।

6. मातहत अदालत ने जब पटवारी हल्का द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर सिविल कोर्ट का स्थगन आदेश होने व बैंक के रहन होने सम्बन्धित रिपोर्ट दी है, उसका नजर अन्दाज किया है साथ ही मातहत अदालत के पास राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की दस्ती मिलने के उपरान्त उसको अपने डिस्पेच रजिस्टर में दर्ज करने पश्चात पालना हेतु पटवारी हल्का के पास राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्टेट का नोट राजस्व रिकार्ड में अंकित ना करवाकर मातहत अदालत की घोर लापरवाही है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 [illegible] एस.डी.ओ. कोर्ट पुनः बहाल का प्रार्थना पत्र चल रहा था। उसमें [illegible] हो चुका था। मगर तत्कालीन तहसीलदार अपने क्षैत्राधिकार [illegible] साहबराम पुत्र मनफुल से मिलकर फर्जी दस्तावेज उक्त अदालत के आदेश की अवहेलना करते आदेश की अवहेलना करते हुए तैयार किये है, जो किसी प्रकार बहाल नहीं रखे जा सकते है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

नामान्तरण संख्या 591 दिनांक 04.10.2024 ब अदालत मातहत इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

लिहाजा यह अपील अपीलांटस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2066 दिनांक 04.10.2024 ब अदालत मातहत अपास्त फरमाया जावें तथा नामान्तरण 519 संख्या 581 दिनांक 08.04.2004 पुनः बहाल फरमाया जावें।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या –01 की ओर से श्री मदन मोहन जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 स्वंय उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–03 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रोही मौजा देईदास के खसरा नं0 260 की 32 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा, रोही मौजा भूकरका की खसरा नं0 296 की 12.191 हैक्टेयर भूमि दादा गणेश की नाम दर्ज रिकार्ड थी। दादा गणेश से पुत्र लेखु के नाम दर्ज हुई। लेखु के दो पुत्रीयां रूपा व तानी हुई। तानी के भागीरथ व अन्य भाई बहन हुए। रूपा के मुखी हुई। रूपा के फौत होनें पर भूमि रूपा एंव पुत्र भागीरथ नाम दर्ज की गई। फिर रूपा ने वसीयत द्वारा भूमि भागीरथ के नाम दर्ज करवा दी। जिसकी अपील माननीय न्यायालय में अलग– अलग नामान्तरण की 6 अपील पेश की गई। न्यायालय द्वारा समस्त 6 अपीलों को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर में की गई। माननीय न्यायालय अतिरक्त संभागीय आयुक्त द्वारा छः में से तीन अपील खारिज की गई एंव तीन अपील रिमाण्ड की गई। खारिज की गई अपीलों की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में जैरकार है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा रिमाण्ड कर पूर्व स्थिति बहाल के आदेश की आधार पर पूर्व स्थिति बहाल करनें हेतु प्रार्थना–पत्र तहसीलदार नोहर के समक्ष पेश किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश में पूर्व स्थित बहाल करके नामान्तरण संख्या 6000 रोही मौजा भूकरका दर्ज किया गया। साहबराम को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करनें का अधिकार नहीं है। माननीय [illegible] न्यायालय नोहर द्वारा भी स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। स्थगन आदेश [illegible] नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2066 दिनांक 04.10.2024 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रूपा दिनांक 10.04.1985 को फौत हुई। तानी द्वारा रूपा का हक मारनें के लिए दिनांक 22.05.1987 को जरिये वसीयत भूमि भागीरथ के नाम करवा दी। बाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में दावा कर अपने पुत्रों के नाम डिक्री करवा दी, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में चल रही है। न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा पत्रावली को रिमाण्ड कर पूर्व स्थिति के बहाली के आदेश के आदेश के आधार पर तहसीलदार नोहर द्वार प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया है, जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करनें पर न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त के निर्णय की पालना में नामान्तरण संख्या 2066 दिनांक 04.10.2024 तस्दीक किया गया गया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की नामान्तरण संख्या 2066 दिनांक 04.10.2024 को दर्ज करनें में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 23/12/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested